and natural gas refineries of private sectors in the country particularly from Gujarat State:

(b) in what manner the industrial and private power sectors propose to use this gas;

(c) the reaction of Government in this regard; and

(d) the steps taken in this context?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) Gas flaring from Bombay High is presently limited to only technical requirements of field operations. Similarly, natural gas processing plants flare only as per technical requirements.

(b) Minimum technical flaring cannot be avoided and hence this gas cannot be utilised.

(c) and (d) Does not arise.

तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त किया गया धन

975. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला: क्या पेट्रोलियम गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत मार्च, 1997 तक कितनी धनराशि एकत्र की गई;

(ख) क्या उक्त धनराशि पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए निर्धारित थी, यदि हां, तो वर्ष 1993-96 की अवधि में पेट्रोलियम क्षेत्र की अनुमानित आवश्यकता की तुलना में तेल उद्योग विकास बोर्ड से अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्त की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इसमें कोई कमी हुई, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में उपकर लगाने की व्यवस्था है। तदनुसार उपकर की उगाही की व्यवस्था है। तदनुसार उपकर की उगाही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा की जाती है। उनके द्वारा दी गई सूचनानुसार लगभग 28900 करोड़ रुपये की धनराशि मार्च, 1997 के अंत तक कच्चे तेल पर उपकर के रूप में उगाही जा चुकी है।

(ख) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 16 के अनुसार उपकर पहले भारत की संचित निधि में जमा कराना होता है और केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा किए गए विधिवत विनियोग के बाद तेल उद्योग विकास बोर्ड को उपकर के अर्थागमों में से इतनी धनराशि का भुगतान कर सकती है जितनी कि सरकार तेल उद्योग के विकास के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 2(ट) के अनुसार "तेल उद्योग" शब्द में पेट्रोलियम, पेट्रोरसायन और उर्वरक तथा उनसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षत: सम्बद्ध सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है। वित्त मंत्रालय द्वारा तेल विकास उद्योग बोर्ड को कुल 902.4 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तेल उद्योग विकास बोर्ड को प्रत्यक्षत: प्रदत्त धनराशि से उपकर उगाही के अधिक होने की सीमा तक यह राशि पेट्रोलियम, पेट्रोरसायनों और उर्वरक के क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बजटीय सहायता देने में और के लिए सरकारी व्यय के वित्त पोषण हेतु एक स्रोत बन जाती है। तेल कंपनियों और अनुदानग्राही संस्थाओं को वर्ष 1993-96 के दौरान उनकी आवश्यकताओं के अनुसार धन दिया गया। इस अवधि के दौरान कुल 2080.13 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

(ग) और (घ) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने रिपोर्ट भेजी है कि निजी/सार्वजनिक क्षेत्रवार उपकर का ब्यौरा उनके पास उपलब्ध नहीं है।

Difference between ONGC and DGH on Targets of Reserve Accretion

976. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether serious differences developed between the ONGC and Directorate General of Hydrocarbons over setting the targets of reserve accretion for the Ninth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof;